

TENDER DOCUMENT



मप्र वन विभाग

निविदा – वन मण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा की दृष्टि से गश्ती करने एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु 06 बोलेरो वाहनों को किराये पर लगाने के संबंध में

कार्यालय – वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल
वनमण्डल जिला–शहडोल 484001 (म.प्र.)

Email- dfotsshahd@mp.gov.in

Mob- 9424794433

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल
जिला- शहडोल 484001 (म.प्र.)

PHONE ☎-07652-240304,FAX-07652-240304E_MAIL-dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक / स्टोर / 2026 / 3491

शहडोल, दिनांक 24.04.2026

निविदा दस्तावेज

विषयसूची

अनुभाग सं.	विवरण	पेज
खंड-I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	03
खंड - II	बोलीदाता को निर्देश (आईटीबी)	
	A. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी	05
	B. बोली दस्तावेज	06
	C. बोली खोलना और उसका मूल्यांकन	08
	D. अनुबंध का पुरस्कार	09
	E. अन्य नियम और शर्तें	10
	अनुलग्नक 1 से 7	12-18

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल जिला— शहडोल 484001 (म.प्र.)

PHONE ☎-07652-240304, FAX-07652-240304E, MAIL-dfotsshahd@mp.gov.in

खंड – I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई निविदा आमंत्रण सूचना -संख्या- 3491 ई-टेंडरिंग - 2026-27 दिनांक .24-04-2026

वन मण्डल दक्षिण अंतर्गत वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा की दृष्टि से गश्ती करने एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु आवागमन के उपयोग हेतु वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु (माह मई 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए) 06 बोलेरो वाहनों को किराये पर लगाने हेतु ई-टेन्डरिंग पद्धति से ऑनलाईन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	कार्य का विवरण	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य समयावधि	परिक्षेत्र
1	<ul style="list-style-type: none"> वनमण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत (वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा की दृष्टि से गश्ती करने एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु आवागमन के उपयोग) के लिए अवधि (माह मई 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए) हेतु 06 बोलेरो वाहन वाहन प्रतिमाह न्यूनतम 2500 कि०मी० प्रतिमाह ईंधन सहित के लिये होगी वाहन BSIV मॉडल का होना अनिवार्य है। 	50,000.00 (पचास हजार रुपये 06 वाहनो हेतु)	1000/- (एक हजार रुपये)	(माह मई 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए)	वाहनो को परिक्षेत्र शहडोल, गोहपारू, खन्नौधी, बुढ़ार, जैतपुर एवं केशवाही में किराये पर लगाया जाना है।

- निविदा प्रपत्र म०प्र०शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा संबंधी सामान्य जानकारी वन विभाग की वेब.साईट <https://mpforest.gov.in> पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- यह निविदा दक्षिण शहडोल वनमंडल के लिये सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- सामग्री क्रय हेतु निविदा की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर आनलाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी।
- निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण आनलाईन देखी जा सकती है :-

विवरण	दिनांक	समय
Tender Publishing Date & Time	Date 27/04/2026 Time 10:00 AM	निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
Tender Sale Start Date & Time	Date 27/04/2026 Time 10:00 AM	
Pre Bid Meeting Date	Date 01/05/2026 Time 13:00 PM	
Bid Submission Start Date & Time	Date 27/04/2026 Time 10:00 AM	
Bid Submission closing Date & Time	Date 18/05/2026 Time 05:00 PM	
Bid Opening Date & Time	Date 20/05/2026 Time 10:00 AM	

5. यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस पर दोहपार 01:00 बजे खोली जावेगी।
6. **प्रक्रिया-1** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये राशि 1000.00 रूपये: (एक हजार रूपये मात्र) है। इसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की रसीद को निविदा के साथ अपलोड करना है।
7. **प्रक्रिया-2** तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित अपलोड किये गये दस्तावेज देखा जावेगा।
8. **प्रक्रिया-3** तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों को ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।
9. **प्रक्रिया-4** वित्तीय निविदा ओपन किये जाने पश्चात एवं L1 निविदाकार को सामग्री प्रदाय हेतु चयनित किया जावेगा।
10. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल/एमपीओ ई-टेण्डर पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
11. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
12. निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
13. ई-खरीद पोर्टल :- <https://www.mptenders.gov.in>

(श्रद्धा पन्दे)
वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण शहडोल वनमण्डल

खंड II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

A. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्र	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वन मण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा की दृष्टि से गश्ती करने एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु 06 बोलेरो वाहनों को किराये पर लगाने के संबंध में
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	संख्या 3491 दिनांक 24.04.2026
3	निविदा शुल्क / निविदा दस्तावेज की लागत	1000/- प्रोसेसिंग फीस + एवं पोर्टल फीस (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	बयाना राशि/EMD Amount	50,000/- (पचास हजार रुपये)
5	बोली प्रस्ताव वैधता	वर्ष 2026-27
6	निष्पादन सुरक्षा	टेण्डर मूल्य का 03 प्रतिशत
7	अनुमानित निविदा मूल्य	33,00,000.00 (तैतीस लाख रुपये)
8	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	01-05-2026
9	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	Date 18/05/2026 Time 05:00 PM
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	Date 20/05/2026 Time 10:10 AM
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	Date 20/05/2026 Time 10:30 AM
12	प्रस्तुतिकरण प्रकार	ऑनलाइन सबमिशन https://mptenders.gov.in/ पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता प्रस्ताव सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी के बीच आपसी समझौते के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल के बीच आपसी समझौते के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह आरएफपी ग्राहक द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदा
 - 4.1. निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक-6 में दी गई है।

- 4.2. कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदाएँ प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो बोलीदाता द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिये विभाग/सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को ही वहन करनी होंगी।

B. निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:—

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. पैन कार्ड
3. पिछले 3 एसेसमेन्ट वर्षों के लिए आयकर रिटर्न (2023-24, 2024-25, 2025-26)
4. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर **अनुलग्नक - 1** (काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण-पत्र)
5. **अनुलग्नक - 2** (निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण)
6. **अनुलग्नक - 3** (साईट संतुष्टि प्रमाण पत्र)
7. **अनुलग्नक - 4** (पूर्व योग्यता मापदंड)
8. दुकानें या प्रतिष्ठान पंजीकरण (जो जीवित अवस्था में होना है।)
9. सी0ए0 प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) का।
10. एमएसई प्रमाणपत्र यदि ईएमडी छूट मांगी गई हो।
11. स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव (अनुलग्नक 4 - खंड (i) और (ii)) से छूट का दावा किया जाता है)
12. निविदाकार को अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों में अपने फर्म की सील एवं अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी निविदा निरस्त की जावेगी।
13. निविदाकार को अपलोड की जाने वाले दस्तावेज अच्छे पठनीय पी0डी0एफ0 फॉर्मेट में अपलोड किया जाना होगा यदि अपलोड किये गये दस्तावेज पठनीय नहीं होंगे तो उनके उस दस्तावेज को अमान्य किया जावेगा।

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा-पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां कहीं भी बोली दस्तावेज में बोली-पूर्व बैठक का प्रावधान है।

- 9.1. स्थान, तिथि और समय का विवरण ई-निविदा आमंत्रण सूचना में दिया जाएगा। प्री-बिड मीटिंग के शेड्यूल में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर ही सूचित किया जाएगा और बोलीदाताओं को अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।
- 9.2. कोई भी संभावित निविदाकार निविदा-पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न पूछ सकता है और/या स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और

उस बैठक में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। ग्राहक अपनी इच्छानुसार ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है, जो उसे आवश्यक लगे।

- 9.3. निविदा-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए उत्तर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 9.4. निविदा-पूर्व बैठक के अनुसार यदि निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझा जावेगा, तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यंकार निधि (ईएमडी)

- 10.1 सत्यंकार निधि राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) की कंडिका 14 के अनुसार की जानी है।
 - 10.2 सत्यंकार निधि (ईएमडी), निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा पर विचार नहीं किया जाएगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)
 - 10.3 सफलतापूर्वक ईएमडी जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
 - 10.4 असफल निविदाकारों की ईएमडी राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
 - 10.5 ईएमडी जप्त की जा सकती है :-
 - 10.5.1 यदि कोई बोलीदाता बोली वैधता अवधि या उसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या अपनी उद्धृत कीमतों में वृद्धि करता है;
या
बोली प्रक्रिया के दौरान, यदि बोलीदाता जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे बोली मूल्यांकन और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया खतरे में पड़ जाए या अनावश्यक रूप से विलंबित हो जाए;
या
सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है;
अथवा
बोली प्रक्रिया के दौरान यदि बोली में कोई जानकारी गलत/छेड़छाड़ की गई/छिपी हुई पाई जाती है।
 - 10.6 ईएमडी जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से दो-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना से संबंधित सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें, इसके बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।
 12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने, बोलियां ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
 13. पूर्व-योग्यता मानदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। बोलीदाताओं को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा बोली को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
 14. तकनीकी निविदायें पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।
 15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा बोली के किसी भी भाग में बोली मूल्य का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
 16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन तथा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए मात्रा बिल (BOQ) के अनुसार अपलोड करनी होगी।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में सभी लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिये उत्तरदायी होंगे जो की संपूर्ण भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
18. सभी संभावित निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से परिचित होना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) भरना होगा। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार निविदादस्तावेजों के साथ रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर एक स्व-घोषणा – “नो ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट” प्रस्तुत करना होगा।

C. निविदा खोलना एवं उसका मूल्यांकन

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति TEC निविदा की जांच करके यह निर्धारित करेगा कि वे पूर्ण, उत्तरदायी हैं या नहीं और बोली प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मूल आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियां या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जावेगा।
25. किसी भी सशर्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
26. **त्रुटियाँ और सुधार:**— अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा— “यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य को मान्य किया जाएगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी”।
27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने, तथा निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा या प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को निविदाकर्ता द्वारा की गई कार्यवाही के कारणों के बारे में सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

D. अनुबंध का पुरस्कार

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे जिनके पास उक्त वस्तुओं के लिए सबसे कम दरें हैं।
29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को “स्वीकृति पत्र” (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। सफल बोलीदाता को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- 30.** अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृतिपत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग-II "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सूचना" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि ग्राहक को करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में "वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल, जिला शहडोल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि 3 महीने अवधि के लिये होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकी, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।
निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर निष्पादन सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी। अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अनुरूप जावेगी।
- 31.** निविदाकर्ता को इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :-
- I- निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिये निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
- II- निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अनुबंध के दौरान किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III- यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति अनुत्तरदायी है।
- IV- निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।
- 32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर**
- 32.1. सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। 7 दिनों के भीतर एलओए जारी करने की तिथि। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 32.2. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा ठेकेदार को कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
- 32.3. सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा (यदि कोई हो) जमा करने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, बोलीदाता के विरुद्ध कार्रवाई करने के ग्राहक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी सत्यंकार राशि / ईएमडी राशि जप्त कर ली जाएगी।
- 33.** निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और बोलीदाता को काली सूची में डाला जा सकता है।
- 34.** यह अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, जो ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर होगा। सभी कानूनी विवाद केवल न्यायालय जिला शहडोल के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

E.अन्य नियम एवं शर्तें

35. ब्लैक स्टोन, क्रशड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करना होगा।
36. जहां भी लागू होगा, सामग्री में रिक्तियों /Void की कटौती की जाएगी।
37. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, बोलीदाता को OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
38. निविदाकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जावेगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को काली सूची /Black List में डाला जा सकता है।
39. यदि निविदाकार निविदा दस्तावेज में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज, नियम व शर्तें तथा शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को अपलोड नहीं करते हैं तो उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 39.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा /सत्यांकार राशि जप्त की जा सकती है।
- 39.2 उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मूरम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 39.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जाएगी।
- 39.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
40. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात राशि **₹ 50,000/- (पचास रुपये)** का प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर./ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ऑन लाईन के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल (सा.) के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। हार्ड कॉपी जमा न करने की स्थिति में आपकी ऑन लाईन प्रतिभूति राशि वापस नहीं की जावेगी एवं सामग्री प्रदाय हेतु कार्य आदेश प्रदाय नहीं किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
41. किराये के अनुबंधित गश्ती वाहनों में जी0पी0एस0 GPS उपकरण का उपयोग किया जावे।
42. अनुबंधित वाहनों में Front & Rear कैमरे (गश्ती के दौरान घटनाओं को Capture करने के लिये) लगाये जावे।

43. वाहन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में अनिवार्य रूप से पंजीबद होना चाहिए।
44. वाहन अच्छी हालत एवं मॉडल वर्ष 2022 या बाद के वर्ष का होना चाहिए।
45. वाहन एवं वाहन चालक को 24 घण्टों के लिये उपलब्ध कराना होगा एवं वाहन 24 घण्टे विभाग के अधिकारियों के अधिपत्य में होगा। किसी भी समय वाहन चालक को वाहन के चालन कार्य हेतु बुलाया जा सकता है उक्त में वाहन चालक द्वारा वाहन चालन कार्य में किसी भी प्रकार की कोई आना-कानी नहीं करेंगा।
46. वाहन पर नियुक्त ड्राइवर का वेतन, वाहन का मेंटीनेन्स, आयल सर्विस, टैक्स, आयकर, कामर्शियल टैक्स, परमिट शुल्क, बैरियर शुल्क बीमा सहित अन्य समस्त व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। निर्धारित व स्वीकृत किराये की राशि के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।
47. कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार के मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित वाहन मालिक/संस्था की होगी।
48. वाहन की निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल संबंधित निविदाकार द्वारा वाहन विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा विभाग को वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाकर उनके द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी।
49. नैसर्गिक एवं प्राकृतिक दुर्घटना के लिए वनमण्डल कोई जवाबदारी वहन नहीं करेगा।
50. वाहन मालिक या वाहन चालक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो वाहन मालिक/वाहन चालक जिम्मेदार होंगे तथा उसी समय वाहन अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
51. निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल को होगा।
52. निविदा की दरें निर्धारित BOQ फाईल में ही भरी जायेगी।
53. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान वाहन मालिक/संस्था द्वारा ही किया जावेगा।
54. किराये पर लिये गये वाहन की सेवाएं सन्तोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन को कार्यालय से हटाने का संपूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल दक्षिण शहडोल का होगा।
55. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि निविदाकार अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) शासन के पक्ष में राजसात करते हुए काली सूची में नाम दर्ज कर 03 वर्षों के लिये शासकीय विभागों में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

56. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
57. सामग्री के क्रय करने या ना करने का पूर्ण अधिकारी वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल को होगा। इस पर निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।
58. उक्त निविदा केवल वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु किया जा रहा है।
59. **दिनांक 01.05.2026** को समय दोपहर 01:00 से आयोजित प्री बिड मीटिंग में सभी निविदाकारों को आवश्यक रूप से उपस्थित होना है।
60. जो निविदाकार किसी कारणवश प्री बिड मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकते वें ऑनलाईन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्री बिड मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं।
61. प्री बिड मीटिंग हेतु लिंक – meet.google.com/btq-idqv-vrw
62. जिन दस्तावेजों की मांग की गई है उन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जावे।
63. निविदा में सामग्रियों की दर समस्त करें एवं जी0एस0टी0 राशि सहित पोर्टल पर भरना अनिवार्य होगा। बिल भुगतान के समय अलग से कोई भी कर एवं जी0एस0टी0 का भुगतान नहीं किया जावेगा।
64. भुगतान राशि से समस्त देय करें की कटौती तत्कालिक दरों पर नियमानुसार की जावेगी।
65. सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का स्वीकृत कार्य आदेश वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी, ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
66. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने की शक्ति वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल के पास होगा।

(श्रद्धा पन्दे)
वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण शहडोल वनमण्डल

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा - ब्लैक लिस्टिंग प्रमाण पत्र
रू 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

तारीख:दिन/माह/वर्ष

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

महोदय/महोदया,

निविदा संदर्भ संख्या.....दिनांकके प्रत्युत्तर में
वनमण्डल दक्षिण शहडोल में भवन निर्माण सामग्री की
आपूर्ति,.....के मालिक/भागीदार/निदेशक के रूप में,

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म
..... का रिकार्ड बेदाग है और
उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी
विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म
..... काली सूची में नहीं है और न ही निविदा प्रस्तुत
करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और
धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई और न ही अयोग्य
घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव
डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार
की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर:-

तारीख:-

स्थान:-

अनुलग्नक - 2

प्रारूप: निविदा में लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1	फर्म का नाम :	
2.	निविदाकार का नाम	
3.	पिता का नाम :-	
4	स्थायी पता :-	
		जिला पिन कोड.....
		मो0 नं0
		मो0 नं0 व्हाट्सएप
		ई-मेल आई0डी0
5.	कार्यालय का पूरा पता:-	
		जिला पिन कोड.....
		मो0 नं0
		मो0 नं0 व्हाट्सएप
		ई-मेल आई0डी0

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

घोषणा

मैं.....पिता/पति

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

अनुलग्नक - 3

प्रारूप: वाहन प्रदाय हेतु साइट संतुष्टि का प्रमाण पत्र

मैं/हमजानता हूँ /जानते है कि वाहन के लगाने हेतु दायरा वनमण्डल दक्षिण शहडोल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमण्डल के अंदर किसी भी दिये गये स्थान पर वाहन आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हमने बोली के लिए आवेदन करने से पहले कार्य/आपूर्ति स्थान का गहन निरीक्षण कर लिया है तथा कार्य स्थल से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा कार्य की सभी स्थितियों को समझ लिया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

अनुलग्नक - 4

पूर्व-योग्यता मानदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिये।
- समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।
- संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोवार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन / निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5

स्वीकृति के पत्र

दिनांकित

प्रति,

M/S.....

(निविदाकार का नाम एवं पता)

विषय:-

-x0x-

प्रिय श्री

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

- क. रूपये (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, के नाम पर प्रतिज्ञा।
- ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

अनुलग्नक 6 संयुक्त उद्यम (जेवी)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:—

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी :—
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर खसी, के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में खसफल निविदा के मामले में,;
 - ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें खऔर जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें :—

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलग्नक 7 अनुबंध (समझौता) प्रपत्र

यह अनुबंध, दिनांक को वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहुंचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह समझौता इस प्रकार प्रमाणित है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके बाद संदर्भित अनुबंध की शर्तों में क्रमशः दिए गए हैं और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा।
2. नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतानों के मद्देनजर, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, ठेकेदार नियोक्ता के साथ अनुबंध के प्रावधानों के सभी पहलुओं के अनुरूप कार्य निष्पादित करने और पूरा करने का वचन देता है।
3. नियोक्ता इसके द्वारा ठेकेदार को कार्य के निष्पादन और समापन के लिए अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करने का वचन देता है जो अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है।
4. निम्नलिखित दस्तावेज़ इस समझौते के भाग के रूप में तैयार माने जाएंगे और उनका अर्थ लगाया जाएगा।
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. बोलीदाताओं को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. मात्रा का बिल और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में अनुबंध का हिस्सा बनने के रूप में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस करार को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित कराया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी
उक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त की
उपस्थिति में:

गवाह :-

1.
2.

प्रथम पक्षकार :-

.....
.....

द्वितीय पक्षकार :-

.....
.....